



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल, इंस्टीट्यूटघन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) भवन, आई0एस0बी0टी0 के समीप,
सहारनपुर रोड़, क्लेमेन्टाऊन, देहरादून
फोन-0135-2641119 फैक्स-2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

जन सूचना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 10.04.2010 के विरुद्ध मै0 कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा मा0 विद्युत अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली (मा0 प्राधिकरण) के समक्ष अपील संख्या-152/2011 दायर की गई थीं मा0 प्राधिकरण द्वारा उक्त अपील संख्या-152/2011 का निस्तारण कर अपने आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा आयोग को विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ के पुनर्निर्धारण हेतु आदेशित किया गया थां

इसी के क्रम में आयोग द्वारा यू0पी0सी0एल0 को उक्त पर अपना प्रत्युत्तर देने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु वर्ष 2010-11 के टैरिफ के पुनर्निर्धारण हेतु विद्युत आपूर्ति के मद में वास्तविक व्यय, वास्तविक विद्युत विक्रय, वास्तविक राजस्व वसूली तथा क्रॉस सब्सिडी के आंकड़े देने हेतु कहा गया था जिसका विवरण यू0पी0सी0एल0 ने अपने पत्रांक-619 UPCL/RM/E-16, दिनांक 07.03.2013 के माध्यम से आयोग को प्रेषित कियां यह विवरण आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर उपलब्ध हैं यदि कोई विद्युत उपभोक्ता चाहे तो सम्बन्धित विवरण आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर अथवा व्यक्तिगत रूप से देखना चाहे, तो आयोग कार्यालय यथा-उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, प्रथम तल, इंस्टीट्यूटघन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) भवन, आई0एस0बी0टी0 के समीप, सहारनपुर रोड़, क्लेमेन्टाऊन, देहरादून में कार्यालय अवधि में आकर देख सकता हैं

उक्त के क्रम में आयोग द्वारा समस्त स्टेकहोल्डर्स से इस सम्बन्ध में अपने विचारों से आयोग को अवगत कराये जाने की तिथि 31.03.2013 निश्चित की गई हैं अतः समस्त स्टेकहोल्डर्स अपने विचारों से सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, प्रथम तल, इंस्टीट्यूटघन ऑफ इंजीनियर्स (इ0) भवन, आई0एस0बी0टी0 के समीप, सहारनपुर रोड़, क्लेमेन्टाऊन, देहरादून या ई-मेल-uttaranchalerc@rediffmail.com पर विलम्बतः दिनांक 31.03.2013 तक अवगत करा सकते हैं